प्रांजल यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 04 अक्टूबर, 2024

विषय :- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA) के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक महत्वाकांक्षी नई योजना "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA)" प्रारम्भ किया जाना है, जिसकी रूपरेखा/क्रियान्वयन निम्नानुसार होगा:-

2- **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA) में निम्नवत प्राविधान होंगे-**

(1) योजना का उद्देश्य-

उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है।

(2) योजना का लक्ष्य-

प्रतिवर्ष 01 लाख युवाओं को वित पोषित कर इस स्वरोजगार मिशन द्वारा आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना करना है।

(3) योजना हेतु पात्रता/शर्तें-

(क) आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये।

(ख) आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिये।

(ग) आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ उत्तीर्ण होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी।

(घ) आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो।

(ड.) पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।

(4) योजना के अंतर्गत वित पोषण-

(क) उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जायेगा। रू0 5.00 लाख से अधिक रू0 10.00 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण/वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के स्रोतों से करनी होगी, जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नहीं होगा। 'उद्योग' एवं सेवा क्षेत्र की परिभाषा भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 मे यथा परिभाषित से है। 'उद्योग' का स्पष्ट आशय विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) से है। विनिर्माण क्षेत्र मे संलग्न होने वाली सभी इकाइयां उद्योग की श्रेणी में वर्गीकृत की जायेगी। 'सेवा क्षेत्र' का आशय ऐसी इकाइयों से है, जो ट्रेडिंग (किसी सामान को क्रय कर उसको उसी रूप में विक्रय करना) तथा विनिर्माण क्षेत्र से भिन्न हो तथा किसी तरह की सेवा से संबंधित हो।

(ख) ऋण कम्पोजिट लोन प्रकृति का होगा।

(ग) कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा।

(घ) परियोजना में भूमि-भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा।

(ड.) सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। साथ ही प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों (बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल क्षेत्र) तथा भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के आकांक्षात्मक जनपदों (Aspirational Districts) जैसे चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच के लाभार्थियों/आवेदकों को भी परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। यह अंशदान अग्रान्त (फ्रंट इण्डेड) होगा।

(च) लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो, का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैक इण्डेड होगा।

(छ) परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो, के सापेक्ष बैंक/वित्तीय सस्था से लिये गये ऋण के शत प्रतिशत ब्याज का उपादान वित पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षो के लिये दिया जायेगा। सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 4 वर्षो तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। यदि लाभार्थी द्वारा स्वयं के स्रोतों से किसी ऋण पर वित्तीय संस्था/बैंक से सीजीटीएमएसई कवरेज की सुविधा ली गयी हो, तो भी प्रस्तावित योजना में उसे ऋण एवं सीजीटीएमएसई कवरेज दिये जाने पर कोई रोक नहीं होगी।

(ज) ब्याज उपादान त्रैमासिक आधार पर दिया जायेगा।

(झ) लोन की तिथि से 6 माह की अधिस्थगन अवधि (Moratorium Period) दी जायेगी।

(ञ) लोन डिफाल्ट होने की स्थिति में अथवा किस्तों की अदायगी में लाभार्थी द्वारा देरी किये जाने पर बैंक/वितीय संस्था द्वारा लगाये जाने वाले पेनल इन्ट्रेस्ट को उपादान में शामिल नहीं किया जायेगा।

(ट) परियोजना स्थापित न करने अथवा 4 वर्षो की समयावधि में परियोजना बन्द होने की स्थिति में मार्जिन मनी सब्सिडी की धनराशि वापस ले ली जायेगी। यह सब्सिडी इकाई के 4 वर्षो तक कार्यरत होने के उपरान्त उसके खाते में समायोजित की जायेगी।

(ठ) 4 वर्षो की अवधि में मूलधन की पेनल इन्ट्रेस्ट सहित वापसी करने वाला लाभार्थी योजनान्तर्गत द्वितीय चरण वित पोषण का पात्र होगा।

(ड) द्वितीय चरण (विस्तारीकरण) की परियोजना लागत अधिकतम रू0 10.00 लाख हो सकेगी तथा प्रथम

Scanned with OKEN Scanner

स्टेज में लिए गये ऋण का अधिकतम दोगुना अथवा रू0 7.50 लाख, जो भी कम हो, की ऋण धनराशि पर 50 प्रतिशत ब्याज उपादान वित पोषण की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए दिया जायेगा। द्वितीय चरण की परियोजना में कोई मार्जिन मनी सब्सिडी देय नहीं होगी।

(ढ) कम्पोजिट द्वितीय चरण लोन में परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन होना अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्कशाप/वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी ।

(ण) प्रथम स्टेज के वित पोषण के लाभार्थी जिनके द्वारा लोन अदायगी में डिफाल्ट की गयी हो , द्वितीय चरण वित पोषण के लिये अपात्र माने जायेंगे।

(त) द्वितीय चरण के अंतर्गत रू0 10.00 लाख से अधिक किन्तु अधिकतम रू0 20.00 लाख की परियोजना लागत की इकाइयां विस्तारित की जा सकेंगी, किन्तु इनमें अधिकतम रू0 7.50 लाख तक की धनराशि पर ही देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत अनुदान वित्त पोषण की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए दिया जायेगा। शेष ऋण/वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के स्रोतों से करनी होगी।

(थ) द्वितीय चरण में भी सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 3 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(द) योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड/ग्रामीण बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाओं से वित पोषण हो सकेगा।

(ध) योजना के संचालन के लिए आवश्यक बजट धनराशि हेतु राज्य स्तर पर मिशन कार्यालय द्वारा एक डेडीकेटेड खाता बैंक में खोला जायेगा, जहां से लाभार्थियों हेतु मार्जिन मनी, सब्सिडी तथा ब्याज उपादान की धनराशि बैंकों को निर्गत की जायेगी।

(न) डिजिटल ट्रान्जैक्शन के सापेक्ष रू0 1 प्रति ट्रान्जैक्शन तथा अधिकतम रू0 2000 प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति इकाई/लाभार्थी देय होगा।

(प) मिशन के अंतर्गत कुल वास्तविक व्यय अथवा देय अनुदान की कुल धनराशि का 3 प्रतिशत (जो भी कम हो) प्रशासनिक व्यय के रूप में शामिल किया जायेगा।

(फ) मिशन के अंतर्गत ऐसी परियोजनाएं ऋण/अनुदान हेतु अनुमन्य नहीं होगी, जो Negative list के अंतर्गत होंगी। योजनान्तर्गत Negative list इस प्रकार होगी:-

(i) तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, इत्यादि।

(ii) अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेट उत्पाद आदि।

(iii) पटाखों का विनिर्माण।

(iv) प्लास्टिक कैरीबैग (40 माइक्रॉन से कम) अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी में यथावर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग ।

(v) समय - समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी सूची में श्रेणीकृत अन्य उत्पाद।

(5) योजनान्तर्गत आवेदन एवं चयन प्रक्रिया-

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जायेगा। योजनान्तर्गत आवेदन आनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डी0पी0एम0यू0) आवेदनों के चयन, बैंकों में प्रेषण, स्वीकृति एवं समीक्षा के लिए अधिकृत होगी। योजना के संचालन हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र जिला स्तर पर केन्द्रीय एजेन्सी होगा। योजनान्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ-साथ खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग व व्यवसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग को भी लक्ष्य आवंटित किये जायेंगे, ताकि इस योजना का लाभ सभी वर्गों एवं श्रेणियों के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को मिल सके। किसी अन्य विभाग के संबंध में राज्य स्तरीय शासकीय समिति को निर्णय लेने का अधिकार होगा।

Scanned with OKEN Scanner